राजस्थान–सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ 0141–2704357 📠 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक:– निसंशि/शैक्ष–2/ प.132/पार्ट–I/2021/ 21379 – 421 दिनांक :– 14.7.2021

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
जयपुर,जोधपुर,कोटा,उदयपुर,
अजमेर,भरतपुर,बीकानेर संभाग चुरू

विषय:– राजकीय/निजी संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा–शास्त्री (बी.एड.)/संस्कृत बी.एस.टी.सी. (**D.EL.Ed.**) में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप कार्यक्रम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से अधिकाधिक लाभान्वित करने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 21.04.2017 एवं 20.06.2017 के अनुसर राजकीय/निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत (बी.एड.)/(**D.EL.Ed.**) प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में चार सप्ताह (24 कार्य दिवस) एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह (96 कार्य दिवस) का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में ही किया जाना है।

उक्त क्रम में विभागाधीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था से अधिकाधिक लाभान्वित कराने के उददेश्य से विभाग के अधीन संचालित शिक्षा शास्त्री (बी.एड.)/ संस्कृत बी.एस.टी.सी.(**D.EL.Ed.**) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशिप कार्यक्रम यथा संभव संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में ही किया जाना है।

अतः उक्त क्रम मे आपको प्रशिक्षणार्थियों का इंटर्नशिप कार्यक्रम संस्कृत विद्यालयों में पूर्ण करवने के लिए अपने अधीन समस्त जिलों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है:–

1. विद्यालय आवंटन करते समय एनसीटीई रेगूलेशन 2014 के परिशिष्ट 2 व 4 की बिन्दु संख्या 4.2(ii) के प्रावधानों का पूर्णतः ध्यान रखा जावें।
2. प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय का आवंटन शिक्षकों के रिक्त पदों एवं छात्र संख्या को ध्यान रखते हुए किया जावें।
3. इंटर्नशिप हेतु तीन वरीयता रहेगी जिसमें प्रथम/द्वितीय वरीयता प्रशिक्षणार्थी द्वारा चयनित दो जिले तथा तृतीय वरीयता सबंधित प्रशिक्षण संस्थान का जिला रहेगा।
4. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालयों का आवंटन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों के आधार पर संबंधित जिले के विद्यालय में वरीयतानुसार किया जायेगा।
5. इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान एवं संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी के माध्यम से दिया जायेगा।
6. शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राजकीय प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/उच्च प्राथमिक विद्यालय आवंटित किए जावें।
7. संस्कृत बी.एस.टी.सी. (**D.EL.Ed.**) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राजकीय संस्कृत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय आवंटित किए जावें।
8. एक ही विद्यालय की मांग आने पर विकलांगों, महिलाओं एवं परित्यकताओं को प्राथमिकता दी जावें शेष को रिक्तियों एवं आवश्यकता के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जावें।
9. इन्टर्नशिप मॉनिटरिंग का कार्य राज्य स्तर पर निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान एवं संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी का रहेगा।
10. संस्कृत विद्यालयों में पर्याप्त छात्राध्यापकों की पूर्ति हो जाने पर संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी की अभिशंषा पश्चात ही प्रशिक्षणार्थी सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में इन्टर्नशिप कार्यक्रम कर सकेंगे।
11. इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

D.EL.Ed. में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार दो चरणों में संपादित की जावेगी–

राजस्थान–सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ 0141–2704357 📠 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

(i) प्रथम चरण– माह–जुलाई 2021 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक

(ii) द्वितीय चरण– माह–अगस्त 2021 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक

- **D.EL.Ed.** पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावे।
- **D.EL.Ed.** पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावें।

12. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस की अवधि में पहले आओं पहले पाओं के सिद्धान्त के आधार पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।
13. इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में संस्थाप्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस के भीतर अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर ही NCTE नार्मस के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित देनी होगी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिन अनिवार्यतः नोडल अधिकारी को प्रेषित की जावेगी।
14. इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में वर्तमान कोविड–19 की परिस्थितियों के मद्देनजर संस्था प्रधान के निर्देशन में अध्यापन, आओं घर से सीखें 2.0,देववाणी एप, ई–कक्षा इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों एवं फील्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी 4 कालांश विद्यालय में अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे एवं शेष 4 कालांशो में नियमित कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करेंगे।
15. प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 2 दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्यदिवस में नहीं की जावेगी। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। इंटर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा।
16. विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कक्षा 1 से 5 में SIQE एवं ABL पद्धति से अध्यापन करवायेंगे। इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियों एव संकल्पनाओ को समझाने का अवसर प्रदान किया जावेगा।
17. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण की इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को सूचीबद्ध किया जावें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जारी निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करें।

14/7/2021

(डॉ.दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, जयपुर।
4. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त प्राचार्य, शिक्षा शास्त्री/राजकीय/अराजकीय संस्कृत बी.एस.टी.सी.(**D.EL.Ed.**)।
6. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर